



Neutral Citation No. - 2026:AHC:45615

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 899 वर्ष 2026

छोटे लाल और 3 अन्य

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : बिपिन लाल श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री बिपिन लाल श्रीवास्तव तथा राज्य-प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अजय कुमार बरनवाल को सुना।
2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित अनुतोष के लिए दाखिल की गई है:-

"(I). क्रमशः प्रत्यर्थी संख्या 3 (अनुलग्नक संख्या 6) और प्रत्यर्थी संख्या 2 (अनुलग्नक संख्या 8) द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 12.09.2025 को अपास्त करने के लिए उत्प्रेषण की एक रिट जारी की जाए।

II. प्रत्यर्थी संख्या 3 को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (U.P.Z.A. & L.R. Act) की धारा 207 के अंतर्गत अपील संख्या 6379 वर्ष 2025, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202514290206379 (महंत और अन्य बनाम शीतला यादव उर्फ शीतलवासा) को इस माननीय न्यायालय द्वारा नियत की गई निर्धारित अवधि के भीतर शीघ्रता से निर्णीत करने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का निदेश/समादेश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाए और आगे प्रत्यर्थियों को यह निदेश दिया जाए कि वे प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान किसी तृतीय पक्षकार का अधिकार सृजित न करें।"

3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि तहसीलदार ने अवैध और मनमाने ढंग से निजी प्रत्यर्थियों के पक्ष में नामांतरण का आदेश पारित किया है। उन्होंने निवेदन किया कि याचीगण, जो उत्तराधिकार के आधार पर अधिकार का दावा कर रहे हैं, ने उप-जिलाधिकारी के समक्ष अपील दाखिल की है, जो लंबित है किंतु अंतरिम अनुतोष की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है। उन्होंने निवेदन किया कि अंतरिम आदेश की आवश्यकता है, अतः वर्तमान रिट याचिका को उप-जिलाधिकारी को समयबद्ध अवधि के भीतर अपील निर्णीत करने का निदेश देते हुए निस्तारित किया जाए और अपील के लंबित रहने तक तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को आस्थगित रखा जाए।
4. राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि याची द्वारा दाखिल नामांतरण अपील उप-जिलाधिकारी के समक्ष लंबित है, अतः याची को इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के बजाय उप-जिलाधिकारी के न्यायालय के समक्ष मामले की पैरवी करनी चाहिए।
5. मैंने याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का परिशीलन किया है।
6. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि तहसीलदार द्वारा निजी प्रत्यर्थियों के पक्ष में नामांतरण का आदेश पारित किया गया था और याचीगण द्वारा दाखिल अपील उप-जिलाधिकारी के समक्ष लंबित है।
7. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, वर्तमान रिट याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 3-उप-जिलाधिकारी, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर को दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः चार माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार अपील संख्या 6379/ 2025, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202514290206379 को शीघ्रता से निर्णीत करने का निदेश देते हुए निस्तारित किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

फरवरी 26, 2026

पीएस*

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।